कार्य संविदा के सम्बन्ध में विभागों द्वारा कार्य संविदाकारों को भुगतान की जा रही धनराशि में से स्रोत पर कर कटौती(टी0डी0एस0) काटने के सम्बन्ध में नोट

दिनांक 01 जुलाई, 2017 से देश में जी0एस0टी0 प्रणाली लागू हो गयी है। जी0एस0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत समस्त प्रकार के करों में परिवर्तन हुए हैं। इस सम्बन्ध में एक मुख्य परिवर्तन कार्य संविदाकरों के कर दायित्व के सम्बन्ध में आया है। इस परिवर्तन के कारण निर्माण कार्य में लगे विभाग यथा पी0डब्ल्यू0डी0 आदि के द्वारा की जाने वाली कटौती सम्बन्धी प्राविधानों में भी अन्तर आया है। किसी विभाग द्वारा किसी कार्य संविदाकार को कोई निर्माण कार्य, धारा 2(119) में यथा परिभाषित, आवंटन किये जाने की स्थिति में उस पर कितना कर दायित्व होगा, किये जा रहे कार्य के मूल्यांकन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में कठिनाई व्यक्त की गयी है अतः इस सम्बन्ध में जी0एस0टी0 में मुख्य प्राविधानों को समझाने हेतु निम्न प्रकार बिन्दुवार स्थिति स्पष्ट की जाती है :–

1– दिनांक 30.06.2017 तक वैट प्रणली के अन्तर्गत कार्य संविदाओं पर कर का दायित्व उनमें किये जा रहे भुगतान में से मजदूरी व कार्य संविदा के अन्तर्गत हस्तान्तरित होने वाली ऐसी वस्तुओं जो प्रान्त अन्दर से कर अदा कर क्रय की गयी हैं, के मूल्य को कम करके निर्धारित किया जाता था।

2– कार्य संविदाकारों को वैट अधिनियम की धारा 7(2) के अन्तर्गत समाधान योजना का विकल्प भी उपलब्ध था, जिसके अन्तर्गत वे कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर 2 प्रतिशत, 4 प्रतिशत या 6 प्रतिशत एकमुश्त राशि समस्त भुगतान पर अदा कर सकते थे।

3– वैट अधिनियम की धारा 35(1) में इस आशय के प्राविधान थे कि संविदी विभाग द्वारा संविदाकार को किये जा रहे भुगतान में से 6 प्रतिशत की कटौती कर राजकीय कोष में जमा कर दें। कुछ शर्तों पर कम दर से भी कटौती के आदेश किये जाते थे।

4– संविदाकार को उनके द्वारा कार्य संविदा में हस्तांतरित होने वाली वस्तुओं के हस्तांतरण पर अन्य किसी रूप में आई0टी0सी0 की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

5– दिनांक 01 जुलाई, 2017 से जी0एस0टी0 अधिनियम के लागू होने पर संविदाकारों के करदायित्व एवं कटौती के संबन्ध में परिवर्तन हुये हैं।

6– जी0एस0टी0 प्रणाली के अंतर्गत संविदाकारों द्वारा निष्पादित कार्यों को सेवा के रूप में माना गया है। जी0एस0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत कार्य संविदा पर समस्त भुगतान पर 18 प्रतिशत(9 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0 + 9 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0) की दर से कर दायित्व है। जी0एस0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत संविदाकार द्वारा कार्य संविदा में जिन वस्तुओं का हस्तांतरण किया जा रहा है, उस पर अदा समस्त कर का लाभ आई0टी0सी0 के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रकार आई0टी0सी0 का लाभ प्राप्त होने के कारण कार्य संविदाकार पर कर की प्रभावी दर कम हो जाती है।

7– जी0एस0टी0 अधिनियम के अंतर्गत धारा–51 में इस आशय के प्राविधान किये गये हैं कि किसी संविदा के 2.5 लाख, जिसमें सी0जी0एस0टी0, एस0जी0एस0टी0, आई0जी0एस0टी0 व सेस सम्मिलित नहीं हैं, से अधिक होने पर इस प्रकार किये जा रहे भुगतान का 2 प्रतिशत (1 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0 + 1 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0) भुगतानकर्ता सरकारी विभाग/स्थानीय प्राधिकारी (यथा धारा 2(69) में परिभाषित) द्वारा टी0डी0एस0 के रूप में कटौती कर राजकीय कोष में जमा किया जाना है।

8– इस प्रकार की कटौती किये जाने के सम्बन्ध में संविदी द्वारा इस प्रकार की गणना नहीं की जानी है कि संविदाकार पर अन्तिम रूप से कितना कर दायित्व आयेगा।

9– पूर्व में विभागों द्वारा किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई एस्टीमेट बनाने में हस्तांतरित होने वाली वस्तु का मूल्य, मजदूरी, लाभ एवं कर का आंकलन कर कार्य का मूल्य निर्धारित किया जाता है। उक्त प्रकार मूल्य निर्धारण में प्रायः वस्तु के मूल्य में अदा किये गये कर को भी शामिल कर निर्धारण किया जाता है तथा इसमें मजदूरी, लाभ आदि जोड़कर प्रायः 6 प्रतिशत की वैट की दर से अतिरिक्त कर जोडकर संविदा का कुल मूल्य निर्धारित होता है।

10– जी0एस0टी0 प्रणाली के अंतर्गत हस्तान्तरित होने वाली वस्तुओं के मूल्य में से अदा कर को कम करके वस्तु का मूल्य लिया जायेगा तथा उसमें मजदूरी, लाभ आदि को जोडकर 18 प्रतिशत की दर से कर जोडते हुये संविदा का मूल्य निर्धारित होगा।

11 जी0एस0टी0 प्रणाली में जो भी कार्य किया जायेगा उसका क्रमांकित इन्वाइस सम्बन्धित संविदी के नाम से बनेगा जिस पर 9 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0 व 9 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0 प्रभारित होगा।

12– चूंकि जी0एस0टी प्रणाली के अंतर्गत कार्य संविदाकारों के लिए कोई समाधान योजना (कम्पोजीशन स्कीम) नहीं है, इसलिये इस कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होना है।

13– कार्य संविदा में हस्तांतरण होने वाली प्रमुख वस्तुओं पर कर की दर निम्न प्रकार है–

क0 सं0	वस्तु का विवरण	HSN Code	प्रान्त अन्दर से सप्लाई होने पर			प्रान्त बाहर से सप्लाई होने पर
			SGST	CGST	योग	IGST
1.	बिल्डिंग ब्रिक्स	6904	2.5%	2.5%	5%	5%
2	सभी प्रकार की प्राकृतिक रेत	2505	2.5%	2.5%	5%	5%
3	गिट्टी, पत्थर, रोड़ी, टूटे या कश्ड स्टोन	2517	2.5%	2.5%	5%	5%
4	फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश ब्लॉक्स	6815	6%	6%	12%	12%
5	आयरन एण्ड स्टील	7213, 7216, 7304	9%	9%	18%	18%
6	बिटुमिन एवं एस्फाल्ट	2714	9%	9%	18%	18%
7	बिटुमिनस मिक्सचर	2715	9%	9%	18%	18%
8	लकड़ी	4403, 4407	9%	9%	18%	18%
9	सामान्य विद्युत सामग्री	85––	9%	9%	18%	18%
10	कार्य संविदा सेवा की संयुक्त आपूर्ति		9%	9%	18%	18%
11	सीमेंट ब्रिक्स, टाइल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स व ब्रिक्स, बिल्डिंग अथवा सिविल इंजीनियरिंग हेतु प्री– फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स	6810	14%	14%	28%	28%
12	पेंट एवं वार्निश, डिस्टेंपर आदि	3208, 3209, 3210	14%	14%	28%	28%
13	सीमेंट	2523	14%	14%	28%	28%
14	इलेक्ट्रिक बोर्ड/पैनल, स्विच, सर्किट ब्रेकर	8536, 8537	14%	14%	28%	28%

14– ऐसी संविदाएं जो 01 जुलाई, 2017 से पूर्व से चल रही हैं तथा उनका बिल 01 जुलाई, 2017 या उसके बाद प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे मामलों में प्रत्येक संविदा के अनुसार कर का मूल्यांकन किया जायेगा। ऐसे मामलों में 01 जुलाई 2017 या उसके उपरान्त कार्य संविदा में हस्तांतरित होने वाली वस्तुओं के कर रहित मूल्य का निर्धारण कर शेष कार्य में लगने वाली मजदूरी व लाभ को जोडने के उपरान्त 18 प्रतिशत की दर से कर जोडते हुये शेष कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा।

15– उक्त को निम्न उदाहरण से समझाया जा सकता है–

यदि किसी कार्य में रू0 1 लाख का बिल्डिंग ब्रिक्स, गिट्टी आदि का उपयोग होता है, रू0 1 लाख का आयरन स्टील उपयोग होता है, रू0 1 लाख का सीमेंट आदि का उपयोग तथा रू0 1 लाख मजदूरी के रूप में आता है तो संविदा का मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित किया जा सकता है–

वस्तु का विवरण	**खरीद मूल्य**	**कर की दर**	**कर रहित मूल्य**
बिल्डिंग ब्रिक्स, गिट्टी आदि	रू0 1,00,000	5 %	95,238
आयरन एण्ड स्टील	रू0 1,00,000	18 %	84,746
सीमेंट	रू0 1,00,000	28 %	78,125
हस्तांतरण होने वाली वस्तुओं का कर रहित मूल्य			2,58,109
मजदूरी	रू0 1,00,000	0 %	1,00,000
योग			3,58,109
लाभ		10 %	35,811
कुल योग			3,93,920
उक्त पर जी0एस0टी0 18 %			70,906
कुल संविदा का मूल्य			4,64,826

इस प्रकार संविदा का कुल मूल्य रू0 4,64,826 आयेगा। उक्त निर्धारण में संविदा की प्रकृति के अनुसार वस्तुओं का मूल्य, मजदूरी आदि का निर्धारण करते हुये संविदा का मूल्य निर्धारित किया जा सकता है।